तारीख हुक्म

13/08/2025

GCMS-2018/00209

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
उनवानी गोविन्दनारायण बनाम ग्राम पंचायत पाटन मु.सं. 22/2018

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उप0। प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक अस्पष्ट ग्राम पंचायत पाटन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट्स ने अपने प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 28 ग्राम पंचायत पाटन में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि में अपीलार्थी के बुजुर्गो के श्मशान डेढ़ बीघा भूमि यानि 0.3750 है0 में पृथक् कर रखी थी उक्त डेढ़ बीघा भूमि के आसपास की भूमि का विक्रय अपीलार्थी के बुजुर्गो द्वारा किया गया था किन्तु रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 ता 3 ने मिलीभगत करके अपीलार्थी पक्ष को सूचना दिए बिना नामान्तरकरण सं0 28 भरकर तस्दीक कर दिया गया जो अवैध एवं प्रभावशून्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 28 ग्राम पंचायत पाटन स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 28 अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें। वकील अपीलान्ट्स की बहस के प्रत्युत्तर में रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 ने अपीलान्ट के अभिकथनो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक ~~29.01.1966~~ अस्पष्ट ग्राम पंचायत पाटन में दर्ज भूमि का विक्रय अपीलान्ट के बुजुर्गो के द्वारा जरिये विक्रय लेख किया गया हैं। उक्त विक्रय लेख का हल्का पटवारी पाटन के द्वारा नामान्तरकरण भरा गया व ग्राम पंचा0 पाटन के द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था व उक्त विक्रय की गई भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में क्रेतागण के नाम से दर्ज हो गयी व क्रेतागण काबिज काश्त खातेदार चले आ रहे हैं। लेकिन अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में उपरोक्त भूमि के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि उक्त भूमि के सभी खातेदारान इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं जिनके हित उक्त नामान्तरकरण से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सभी खातेदारान की सुनवाई किये बिना निर्णय पारित नही किया जा सकता हैं। अपीलान्ट के बुजुर्गान द्वारा भूमि के विक्रय किया जाने व उक्त नामान्तरकरण क्रेतागण के पक्ष में दर्ज किया जाने करीब 58–59 वर्ष बाद उक्त प्रकरण अपीलान्ट व अपीलान्ट के बुजुर्गान की जानकारी में होने के बाद भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील को मय हर्जा खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा दस्तावेजात एवं जवाब रेस्पोडेन्ट सं0 1 का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि अपीलान्ट का यह कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:17:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना** **उनवानी गोविन्दनारायण बनाम ग्राम पंचायत पाटन मु.सं. 22/2018**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

गलत प्रतीत होता हैं कि ग्राम पंचायत पाटन द्वारा पारित निर्णय की जानकारी होते ही यह अपील पेश की गई हैं। ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्व दिनांक 20.07.2018 अर्थात लगभग 53 वर्ष बाद यह अपील पेश की गई हैं। 1998 डी0एन0जे0राज0 767 पर यह अवधारित हैं कि

"In every suit or application, if limitation is prescribed, the question of limitation is to be considered first, even if the dispute is not raised."

विवादित नामान्तरकरण सं0 28 अपीलान्ट के बुजुर्गान द्वारा क्रेतागण के पक्ष में किए गए विक्रय लेख के संबंध में हैं तथा अपीलान्ट ने समस्त खातेदारान का हित निहित होते हुए भी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया हैं।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक अस्पष्ट ग्राम पंचायत पाटन खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:17:22 IST
Reason: SelfAttested